प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- कुलपति,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।

2- कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3- निदेशक,
सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान/विश्वविद्यालयों के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु गैर वेतन मद में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-47/2017/913/71-2-17-48/2017, दिनांक 12 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या-53/2017/2986/71-2-17-48/2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-67/2017/3507/71-2-17-48/2017, दिनांक 20-9-2017 तथा शासनादेश संख्या-4/2018/25/71-2-2018-48/2017, दिनांक 09 जनवरी, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत कुल रू0 64,35,37,000/- (रूपया चौसठ करोड पैतीस लाख सैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र	संस्थान/विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अमुक्त धनराशि (लाख में)
1	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	2210-05-105-03-0328-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**2570.37**
2	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**3800.00**
3	सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-	20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**65.00**
			योग-	**6435.37**

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं सुसंगत शासनादशों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित संस्थान के निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी और इस हेतु संस्थान के निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं उत्तरदायी होगें।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/596/दस-2018, दिनांक 13 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 47/2018/791(1)/71-2-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी, (लखनऊ/इटावा)
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।